कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 2567 / 12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 12.05.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :– देवलधार – माईथान – गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10903 / 2015)।

संदर्भ :– आपका ऑन–लाइन प्रस्ताव दिनांक 11.05.2015।

महोदय,

संदर्भित मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आपके स्तर से जो ऑन–लाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उसके हॉड–कॉपी के अवलोकन से निम्न कमियां संज्ञान में आयी है–

1 प्रस्ताव के पार्ट– II में 5.4 है0 आरक्षित भूमि एवं 0.891 है0 भूमि सिविल सोयम सूचित की है। जबकि प्रस्ताव के हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर 0.7065 है0 वन पंचायत भूमि भी प्रभावित हो रही है। कृपया पार्ट– II को सही कर प्रस्तुत करें।

2 प्रस्ताव के हार्ड कॉपी में 0.7065 है0 वन पंचायत भूमि प्रभावित होना सूचित है परन्तु सम्बन्धित वन पंचायत / वन पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

3 वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न तो जिलाधिकारी और न ही जिलास्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।